

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर गुना में वाहन/साईकिल स्टेण्ड संचालन हेतु नीलामी के माध्यम से ठेका प्रदाय किया जाना है। उक्त ठेके हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएँ/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए **अमानत राशि 10000/- रुपये** का डी0डी0 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गुना के नाम से तैयार करवाया जाकर नजारत अनुभाग गुना में दिनांक **29.05.2025 से 30.05.2025** तक जमा कर दिनांक **02.06.2025 एवं 03.06.2025** को न्यायालय परिसर गुना में समय दोपहर 04 से 05 बजे तक सी0जे0एम0 कोर्ट के बाहर टीनशेड के नीचे आकर बोली में भाग ले सकते हैं।

वाहन/साईकिल स्टेण्ड ठेके के संबंध में शर्तें

01. साईकिल स्टेण्ड का ठेका **एक वर्ष 2025-2026** के लिए दिनांक **19.06.2025 से दिनांक 18.06.2026 तक एक वर्ष** के लिए होगा।
02. ठेके की नीलामी बोली लगाने वाले व्यक्ति को **10000/- (दस हजार) रुपये अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी)** अमानत के रूप में जमा कराना होगी।
03. साईकिल स्टेण्ड ठेके की **न्यूनतम बोली राशि 3,34,000/- रुपये** है। उक्त राशि चार किस्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किस्त अनुबंध के तत्काल पश्चात् एवं शेष आगामी नीलामी के **3-3** माह की अवधि में जमा करानी होगी। **नीलामी कार्यवाही दिनांक 02.06.2025 एवं 03.06.2025 को न्यायालय परिसर गुना में सम्पन्न की जाना है।**

04. निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी।

05. साईकिल स्टैण्ड पर वाहन रखने का समय प्रातः 09.30 बजे से संध्या 06.00 बजे तक रहेगा।

06. ठेकेदार न्यायालय परिसर में सामान्य जन द्वारा साईकिल स्टैण्ड पर वाहन रखने पर उनसे निम्न दर से राशि वसूल कर सकेंगे।

ए. कार:- 15/- रुपये प्रति दिन अथवा 300/- रुपये प्रति माह।

बी. मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड टू-व्हीलर :- 10/- रुपये प्रति दिन अथवा 200/- रुपये प्रति माह।

सी. साईकिल:- 05/- रुपये प्रति दिन अथवा 100/- रुपये प्रति माह।

07. न्यायालय परिसर से साईकिल स्टैण्ड पर वाहन रखने वाले व्यक्ति को ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से कूपन (रसीद) प्रदाय किया जावेगा।

08. किसी भी वाहन के गुम/चोरी होने पर उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।

09. ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड पर रेट लिस्ट बोर्ड पर बनवाई जाकर साफ-साफ अक्षरों में दर्शाई जावेगी।

10. कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही वाहन रखे/खड़े करवाया जाना अनिवार्य होगा।

11. न्यायालय परिसर स्थित साईकिल स्टैण्ड की साफ-सफाई की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा कराई जावेगी।

12. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा किसी भी शर्त का उल्लंघन होने कि दशा में ठेका अनुबंध एक पक्षीय रूप से निरस्त कर दिया जावेगा एवं अनुबंध के आधार पर जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।

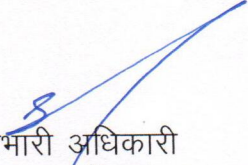
13. वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो।

14. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुये अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

श्रीमानजी उक्त शर्तों सहित विस्तृत विवरण

01. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की बेबसाईट
(www.mphc.gov.in)

- 02. जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड गुना
- 03. आभिभाषक संध के नोटिस बोर्ड न्यायालय गुना
- 04. कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
- 05. तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
- 06. नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड गुना
- 07. जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
- 08. जयस्तंभ चौराहा गुना
- 09. हनुमान चौराहा गुना
- 10. बस स्टेण्ड गुना
- 11. रेलवे स्टेशन गुना


प्रभारी अधिकारी
नजारत अनुभाग जिला न्यायालय
जिला-गुना म0प्र0